

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री लोखनाथ महतो पिता बीरौ महतो और श्री चेतलाल महतो पिता गुलि महतो , निवासी ग्राम: केदला, थाना: मांडू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: केदला, थाना सं: 160 , गैरमजूरवा खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 1199/128(पी); कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: केदला , थाना सं: 160, खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 1199/128(पी); कुल रकबा - 4.00 एकड़ के तहत श्री लोखनाथ महतो पिता बीरौ महतो और श्री चेतलाल महतो पिता गुलि महतो, निवासी ग्राम: केदला, थाना: मांडू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्व कुमार
२५०६१२०९६